शीर्षकः केन्टीन सेवा हेतु

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

निविदा फार्म

निविदा संदर्भ संख्या कमांकः—एफ—49(11)/कैसंसे/2019—20/२२५४ दिनांक ०९.०६.२०२०

निविदा कार्य का नामः राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में केन्टीन सेवा प्रदान करने हेतु निविदा

केन्टीन संचालन सेवा हेतु निविदा आमंत्रण
E-Tender

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशाला, मानव संसाधन विकास कार्यो इत्यादि में भाग लेने वाले संभागियों हेतु एवं संस्थान के छात्रावास व गेस्ट हाउस में रहने वाले अतिथियों के लिये दिन व रात्रि का भोजन एवं जलपान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सेवा प्राप्त करना

बिड संदर्भ सं. F-49(11)/कैसंसे/2019–20/२२५8 दिनांक: 09.06.2020

ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	10.06.2020 सायं 4 बजे
निविदा फार्म शुल्क, ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूतिराशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	:	19.06.2020 दोपहर 1 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. परिसर
ऑनलाइन निविदा आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	:	19.06.2020 दोपहर 1 बजे तक
ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	19.06.2020 दोपहर 3 बजे रा.स्वा. एवं प.क.सं. परिसर

निविदा मूल्य	:	अनुमानित लागत रू 01.00 करोड
निविदा फार्म शुल्क	:	रू 1000/– (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)
ई टेन्डर प्रोसेसिंग शुल्क	:	रू 1000/–
बोली प्रतिभूति राशि	:	रू 200000/– (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(बोली प्रतिभूति राशि रूपये 200000/– (दो लाख रू मात्र) एवं निविदा फार्म शुल्क रूपये 1000 (एक हजार रू मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैंक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पक्ष में जयपुर में देय हो एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 1000 (एक हजार रू मात्र) का डी.डी./बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो। **(तीनो के डी.डी./बैंकर्स चैक अलग–अलग हों)**

ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने का स्थान व सम्पर्क हेतु पता
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534 Email ID- sihfwraj@ymail.com

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा सूचना	4
2.	निविदादाता हेतु निर्देश	5—9
3.	निविदा फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A '	10—11
4.	निविदा फार्म संलग्नक " B "	12—13
5.	निविदा की शर्ते एवं नियम संलग्नक "C "	14—18
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D "	19
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	20
8.	भोजन (मीनू) की सूची संलग्नक "F "	21—22
9.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक G	23
10.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक H	24-25
11.	Format of BoQ संलग्नक "I"	26

नोट :— सम्पुर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फोन्ट से लिखित है:—DevLys 010 (क्मअस्ले 010)

निविदादाता के हस्ताक्षर

NIB No - IHF 2021 A 0001
UBN No - IHF 2021 SLOB 00001

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

क्रमांकः– F-49(11)/कैसंसे / 2019–20 /2248 दिनांकः 09.06.2020

–: निविदा सूचना :–

संस्थान स्थित केन्टीन संचालन के लिये सेवा प्रदान करने हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटरिंग सेवा प्रदाता एवं अनुभवी ठेकेदार जो केन्टीन / मैस संचालन का अनुभव रखते हो, से निम्नलिखित सेवा कार्य आपूर्ति के लिये ई–निविदाए आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित लागत	धरोहर राशि रू. में	निविदा फार्म राशि रू. में	ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रू. में	ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड करने की तिथि	ऑनलाइन निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	24 घंटे X 7 दिन केन्टीन संचालन सेवा	01 करोड रुपये (2 वर्ष हेतु)	200000 (रू दो लाख) का बैंकर्स चैक / डी.डी.	1000 बैंकर्स चैक / डी.डी.	1000 बैंकर्स चैक / डी.डी.	**10.06.2020** शाम 4 बजे से	**19.06.2020** दोपहर 01:00 बजे तक	**19.06.2020** दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान परिसर में

निविदा फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। **ई–टेण्डर को अपलोड करने की अन्तिम तिथि 19.06.2020 दोपहर 01:00 बजे तक है। निविदादाता फर्म को धरोहर राशि रूपये 2.00 लाख (रू दो लाख) एवं निविदा फार्म शुल्क रूपये 1000 (रू एक हजार) का डी डी अथवा बैंकर्स चैंक जो निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय हो एंव ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 1000 (एक हजार) का डी डी / बैंकर्स चैक जो MD RISL के पक्ष में payble at Jaipur हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 19.06.2020 को दोपहर 01:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करा देंवें।** धरोहर राशि, ई–टेण्डर, प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा फार्म राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण निविदा को रद्द करने अथवा प्राप्त निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

निविदादाता हेतु निर्देश

1. यह निविदा होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटरिंग सर्विस प्रदाता एवं अनुभवी केन्टीन मैस/ संचालकों, सेवा प्रदाताओं से आंमत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्रों को वेब साईट http://www.eproc.rajasthan. gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन निविदाओं में भाग लेने वाले आवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:// www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करवाएं।
3. बोली प्रपत्र को वेबसाईट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
4. **वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (1) एफ.डी /जी.एफ एण्ड ए.आर. /2007दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रू. तक की राशि के कार्यो के लिए 500/— व 50 लाख से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/—रू की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राप्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी । यह डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस. एल जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिये।**
5. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के नाम देय होगा।
6. निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगाः—

अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 10.06.2020 समय सांय 04:00 बजे से 19.06.2020 दोपहर 01.00 बजें तक होगी।

ब निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोंनिक फॉरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in दिनांक 10.06.2020 सांय 4 बजे से दिनांक 19.06. 2020 दोपहर 01.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते है एवं प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 19.06.2020 को दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी।

स निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 19.06.2020 दोपहर 01:00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

द निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 10.06.2020 सांय 4 बजें से दिनांक 19.06.2020 दोपहर 01:00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लियें योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता का पात्रता, विभिन्न कार्यो की मात्रा का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

7. निविदा की वैधता खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. निविदादाता इन प्रपत्रों को download कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं टेण्डर प्रक्रिया शुल्क रू 1000 प्रत्येक के लिये अलग–अलग डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक के रूप में निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथी तक जमा कराना आवश्यक है।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक सिफू जयपुर के पास सुरक्षित है।
10. ई–टेण्डरिंग के लिये निविदाता हेतु निर्देशः–

अ. निविदा में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "http://www.eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड (download) कर सकते है।

ब. निविदा में भाग लेने वाले निविदा दाताओ को इन्टरनेट साइट "http//www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।

द. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

य. कोई भी टेंडरर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार सस्थान नहीं होगा। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय के उपरान्त जमा किये गये दस्तावेजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

र. टेंडर प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

ल. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।

11. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राप्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
12. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क , निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डिमान्ड ड्राप्ट प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राप्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

13. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने के दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाऐं खोली जाऐगी। जो निविदा दाता तकनीकी ब्रिड में क्वालीफाई करेगे उनकी वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–मेल से दी जावेगी। निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

14. भौतिक रूप से जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों यथा डिमाण्ड ड्राप्ट एवं पोर्टल पर डिजिटली अपलोड किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रृटी पायेजाने पर उसे पुनः आवेदन करके उसे दुरस्त किया जाना निर्धरित समय सीमा में सम्भव नहीं हो पायेगा तो तदनुसार निविदा को अमान्य करने का निर्णाय लिया जा सकता है। निविदा का भाग माना जाना सम्भव नहीं हो पायेगा एवं तदनुसार निविदा को अमान्य के लिये निविदा दाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

15. प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की पांच प्रतिशत होगी ।

16. वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय निविदा भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों एवं दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के अनुरूप हों। कार्यादेश देने के बाद में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जावेगा एवं गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर कैंटीन संचालक के साथ किया गया करार समाप्त कर प्रतिभूति राशि (परफॉर्मेन्स सिक्योंरिटी) जब्त कर ली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

17. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत /डाक द्वारा संपर्क किया जा सकें। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सकें।
18. समस्त दरें, कर आदि (यदि कोई हो तो) सम्मिलित करते हुये होगी एवं जी.एसटी. की दरें व राशि बिल में पृथक रूप से अंकित करनी होगी निविदा में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
19. निविदाकार जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
20. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
21. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
22. निविदा दाता को प्रपत्र बिना काट –छांट के अपलोड करना चाहिये अन्यथा. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक काट–छांट पर निविदा दाता को अपने हस्ताक्षर करने होगे।
23. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (अद्योहस्ताक्षर कर्ता) को होगा।
24. सम्पूर्ण निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियम प्रभावी होगें एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होगें।
25. निविदायें उनके खुले जाने एवं पात्र निविदादाता के द्वारा अनुबन्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
26. निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तें विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं।
27. निदेशक किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

28. निविदादाता करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्नानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    - यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    - एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डाक्यूमेंट।
    - कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    - जी.एस.टी पंजीकरण एवं पैन नंबर अनिवार्य होगा ।
    - नगर निगम जयपुर या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी फूड़ लाईसेन्स की वैध प्रति अनिवार्य है।
    - फर्म द्वारा सर्विस टैक्स नियमानुसार जमा कराया गया होना अनिवार्य है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। सर्विस टैक्स जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में निविदा तकनीकी रूप से अमान्य समझी जावेगी।
29. निविदादाता दर संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
30. निविदादाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी।
31. यदि निविदा के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना निविदादाता का दायित्व होगा।
32. तकनीकी निविदा को अक्षरशः पूरा करना अनिवार्य होगा।
33. समस्त बोली प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTTP ACT 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTTP Rules 2013) के नियम प्रभावी रहेंगें।

निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर

## तकनीकी निविदा		संलग्नक "A"

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

(यह नोटराइज्ड़ होना चाहिए)

मैं/हम .... (निविदादाता का नाम) का कार्यालय .... निविदाकार का पता .... घोषणा करते है कि मैं/हम निविदा के सभी शर्ते एवं नियम पढ़ लिया गया है। जो कि निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा निविदा में दिये गये है तथा उल्लेखित सभी शर्तो, नियमों व नीचे दिये गये ग्रेडिंग/मेरिट सिस्टम का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी/केटरिंग सेवा प्रदाता/ केन्टीन /मैस के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु सहमत है।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने कि घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	अमानत राशि रु. 200000/– बैकर्स चैक/ड्राफ्ट अनिवार्य		
2.	वैध फूड लाइसेंस की प्रति अनिवार्य		
3.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
4.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
5.	वर्ष 2016–17 से 2018–19 की आयकर विवरणी की सी.ए. फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
6.	वर्ष 2019–20 की जी.एस.टी. जमा विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
7.	हस्ताक्षरित मूल निविदा फार्म मय संलग्नक "A से H तक" अनिवार्य		
8.	किसी भी संस्थान (सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्पोरेट) में मैस /केन्टीन संचालन का कार्यनुभव प्रमाण पत्र संलग्न "D") अनिवार्य		
9.	टर्नओवर विवरण (संलग्नक "E") तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर 75.00 लाख प्रतिवर्ष (पिचतर		

निविदादाता के हस्ताक्षर

	लाख) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना होगा। अनिवार्य		
10.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है। इसका शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "G") अनिवार्य		
11.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस. ई/अन्य समकक्ष)		
12	किसी भी संस्थान (सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्पोरेट) में मैस /केन्टीन संचालन हेतु प्राप्त प्रशस्ति पत्रों की प्रति		

नोटः— उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूंढ़ा जा सके।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा संलग्नक " **B** "

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर–302004
फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न. 2706534

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन परिसर में केन्टीन सेवा प्रदान करने हेतु

निविदा फार्म

1.	निविदादाता फर्म / संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाषः कार्यालय.. निवास.. मोबाईल.. ई–मेल..	....
4.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था (संलग्नक H)	
5.	फर्म के मालिक / साझेदारों का नाम व पूरा पता	
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	नाम– पता–
	(ब) किस हैसियत (यथा मालिक / अधिकृत ठेकेदार / मैनेजर / सचिव) से हस्ताक्षर किये हैं?	मालिक / अधिकृत ठेकेदार / मैनेजर / सचिव
	(स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	हॉ / नही?

निविदादाता के हस्ताक्षर

7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मो.नं. दूरभाष नं. पता–
8.	संलग्न अमानत राशि का विवरण	जमा करा दी गई है/ नही कराई है। जमा कराने का माध्यम:– बैंकर चैक सं...... ..../नकद रसीद सं. ....

उपर्युक्त जानकारीयॉ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियॉ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नही होगी। मैने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा संलग्नक "C"

कार्यालय भवन एवं परिसर की केन्टीन सेवा प्रदान करने हेतु निविदा व संविदा की शर्तें एवं नियम

1. निविदाकार स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
2. यदि निविदाकार के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग से कोई भी शिकायत आने व सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी।
3. निविदादाता को अनुबंध के 15 दिवस में संस्थान में केन्टीन संचालन हेतु फूड लाइसेंस हेतु आवेदन कर लाइसेंस संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
4. अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारूप में व तीन प्रतियों में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग चैक/ ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। जिसका विभाग द्वारा ठेकेदार को आयकर (टीडीएस) जमा का फार्म (16 ए) दिया जायेगा।
5. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
6. उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, और ना ही इस कार्यालय का किसी प्रकार का कोई दायित्व/जिम्मेदारी होगी। इस बाबत समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म (अनुबन्धक) की ही होगी।
7. भोजन बनाने हेतु वाणिज्य गैस सिलेन्डर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
8. निविदादाता को खाना बनाने के काम आने वाले आवश्यक बर्तन उपलब्ध नहीं करवाये जावेंगे। बर्तन आवश्यकतानुसार व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर से करनी होगी एवं इस हेतु कोई अलग से चार्ज देय नही होगा। चाय, नाशता एवं खाना परोसने वाले बर्तन चीनी मिट्टी के अच्छी गुणवत्ता (ब्रांडेड कम्पनी के) वाले निविदा फर्म द्वारा उपलब्ध करावाये जावेंगें।
9. निविदादाता को कैंटिन परिसर के सफाई का कार्य अपने स्तर पर संपन्न करवाना होगा एवं कैटिन परिसर में प्रतिदिन तीन बार सफाई करवानी होगी।
10. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में लंच ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले लंच की व्यवस्था करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में टी ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले ही चाय आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर करनी होगी।
12. निर्धारित अवधि में संस्थान की कैंटिन में लंच/डिनर की व्यवस्था नहीं करने पर अनुबंधक की रिस्क एवं कोस्ट पर संस्थान द्वारा अन्य फर्म से लंच/डिनर मंगवाया जा सकेगा, तथा संस्थान को इस सम्बन्ध में यदि कोई हानि होती है, तो आर्थिक हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व अनुबंध–कर्ता का होगा व संस्थान निविदादाता/अनुबंध–कर्ता से वसूली करेगा।
13. भोजन के निर्माण में FSSAI मार्का उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का ही उपयोग किया जावेगा।
14. प्रदाय भोजन की साम्रगी सम्पूर्णतः निविदा विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी।
15. अपरिहार्य एवं प्रशासनिक कारणों से निर्धारित कार्यक्रम परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है।
16. सस्थान द्वारा गठित एक कमेटी कार्यादेश से पूर्व भोजन की गुणवत्ता व स्वाद का जायजा ले सकती है केवल सही (संतोषजनक) पाये जाने पर ही सफलतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा।
17. निर्देशानुसार कार्य सम्पादित नहीं करने पर या किसी प्रकार असफल रहने पर किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अन्य स्त्रोतों से पूर्ति करने के कारण संस्थान को हुई आर्थिक क्षति के लिये निविदादाता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रयुक्त खाद्य सामग्री व किचन की जॉच/निरीक्षण हेतु यह कार्यालय स्वतंत्र होगा।
19. उक्त दरों में समान लाने ले जाने एवं कार्य स्थल पर हैण्डलिंग की दर भी सम्मिलित है। समान/वस्तुओं की टूट फूट या गुम हो जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
20. बिल में जी.एस.टी. प्रचलित दर को नियमानुसार अंकित करना होगा।
21. प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी। संस्थान के द्वारा सूचित किये जाने की संख्या अनुसार सुबह की चाय/नाश्ता/लंच/डिनर मेनू अनुसार उपलब्ध कराना होगा। समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकने अथवा गुणवत्ता सही नहीं होने की स्थिति में उस दिन से सम्बन्धित कार्यादेश के विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रशिक्षण के प्रथम दिन के प्रतिभागियों के चाय,नाश्ता व लंच का भुगतान कार्यादेश अथवा उपस्थित संभागियों की संख्या (जो भी अधिक हो के अनुसार किया जायेगा)।
22. यदि प्रतिभागियों द्वारा एक माह में तीन बार से अधिक गुण्वत्ता सम्बन्धी शिकायत की जाती है तो अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

23. भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती प्रचलित नियम अनुसार की जायेगी। पेन नम्बर, जी.एस.टी. नम्बर लिखना अनिवार्य है, इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित पत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें।
24. सफल निविदादाता को 1000 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
25. भुगतान हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण बैच की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नियमानुसार कुल चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि का बिल मय टोकन के प्रस्तुत किया जायेगा। जांच पश्चात् निविदा की शर्तानुसार सही होने पर भुगतान किया जायेगा।
26. खाने के उपयोग में लिया जाने वाला खाद्य तेल ब्रांडेड मूंगफली/सरसों व देशी घी का होगा। तथा मसाले बेसन, चावल, पोहे एवं अन्य खाद्य सामग्री एग FSSAI मार्का की होगी।
27. विवादास्पद स्थिति होने पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को निविदा शर्तों के अनुसार निर्णय कर आवश्यक कटौति, भुगतान ना करने व वसूली करने का अधिकार रहेगा। विवाद की स्थिति में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
28. निविदादाता द्वारा भोजन आदि की आपूर्ति के फलस्वरूप यदि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण से किसी प्रशिक्षणार्थी के स्वास्थ्य को कोई हानि होती है तो उसके लिये निविदादाता पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाहियों यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार, सरकार, या ठेकेदार द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
30. यह निविदा द्विवार्षिक दर अनुबन्ध के लिये ही है। आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
31. निदेशक द्वारा गठित समिति/प्रधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कच्ची भोजन सामग्री/तैयार भोजन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
32. असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद वापस लौटाई ज़ा सकेगी।
33. करार व प्रतिभूति निक्षेपः सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। अनुमानित लागत की पॉच प्रतिशत प्रतिभूति राशि रूपये 500000/– मात्र (बैंक ड्राफ्ट) के माध्यम से जमा करानी होगी।
34. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
35. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

36. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (जब्त) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत जब्त किया जा सकेगा।
    - जब संविदा की किन्ही शर्तों का उल्लघन किया गया हो।
    - जब निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
37. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक SIHFW Rajasthan Jaipur का निर्णय अंतिम होगा।
38. अल्पाहार, भोजन (लंच एवं डिनर) के दौरान व पश्चात् भोजन की टेबिल, कुर्सी की सफाई का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्त्रोतों (कार्मिकों) द्वारा कराया जायेगा।
39. अल्पाहार भोजन के पश्चात् भरे हुए कचरा पात्रों को खाली करके नियमानुसार निष्पादित करने की व्यवस्था निविदादाता फर्म द्वारा ही कराई जायेगी।
40. संस्थान के स्टाफ को रियायती दर (अनुमोदित दर का 50 प्रतिशत) पर भोजन, एवं नाश्ते की व्यवस्था कॉन्ट्रेक्टर को करनी होगी।
41. प्रशिक्षणार्थियों/कर्मचारियों को पीने के लिए मंगवाये गये पानी के कैम्पर्स को वाटर कूलरों में खाली करवाने का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्तर (स्त्रोत) से करवाना होगा।
42. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार आउट साईड कैटरिंग (संस्थान से बाहर) जयपुर शहर में कहीं भी करनी हो सकती है।
    - आउट साईड कैटरिंग (लंच/नाशता/डीनर/हाई–टी/चाय कॉफी) की व्यवस्था संस्थान के आदेशानुसार निविदादाता को उपलब्ध करानी होगी।
    - आउट साईड कैटरिंग करने हेतु संस्थान में उपलब्ध सामान के अलावा किसी सामान (टैंट का सामान(सभी), भोजन बनाने के बर्तन, भोजन परोसने के बर्तन, भोजन खाने के बर्तन, कर्मचारी, पानी, सामान का किराया–भाडा इत्यादि) की आवश्यकता होती है तो उसका वहन भी निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
    - आउट साईड कैटरिंग हेतु भोजन की दरें एवं आउट साईड कैटरिंग हेतु प्रतिशत मूल्य के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान संस्थान द्वारा निविदादाता को नही किया जावेगा।
    - आउट साईड कैटरिंग करने में असमर्थता प्रस्तुत करने वाले निविदादाता से उस कार्यक्रम/प्रयोजन की पूर्ण राशि दण्डस्वरूप ली जावेगी एवं करार भी निरस्त किया जा सकता है।
    - संस्थान परिसर के बाहर आवश्यकतानुसार लंच/नाश्ता पैकेट भी उपलब्ध करवाने होंगे एवं नियत स्थान पर नियत समय पर पहुँचाने होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

43. सफल होने वाले निविदादाता को संस्थान में रू 20000/— प्रतिमाह संस्थान में हर महिने केन्टीन किराये के स्वरूप जमा करवाया जावेगा। उपरोक्त राशि नही जमा कराने के फलस्वरूप निविदादाता फर्म के बिलों का भुगतान रोक लिया जावेगा।
44. संस्थान की केन्टीन में पृथ्क रूप से बिजली का मीटर लगा है, उसका बिजली की यूनिट के अनुसार निविदादाता से भुगतान प्राप्त किया जावेगा।
45. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक को यूनिफार्म मे होना आवश्यक है।
46. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन संस्थान में उपलब्ध कराना होगा एवं सभी कार्मिकों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं आवश्यक टीकाकारण का विवरण मय प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
47. निविदादाता को संस्थान में FSSAI (Food Safety & Standards Authority of India) द्वारा जारी लाईसेंस/प्रमाण पत्र संस्थान में प्रस्तुत करना होगा। (यदि निविदादाता के पास यह लाईसेंस/प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है तो वह अनुबंध के उपरान्त 15 दिवस में संस्थान में उक्त लाईसेंस/प्रमाण पत्र उपलब्ध करवायेगा)
48. निविदादाता को संस्थान में खाना बनाने के कच्चे सामान में Fortified सामान का उपयोग करना होगा।
49. न्यूनतम बोली का निर्धारण निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में लंच, डीनर, हाईटी, ब्रेक फास्ट के योग के आधार पर किया जावेगा।
50. करार के समय निविदादाता को साप्ताहिक खाने का मीनू उपलब्ध करावाया जावेगा। साप्ताहिक खाने के मीनू के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
51. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
52. केन्टीन के RO की Maintenance निविदादाता को आवश्यकतानुसार करनी होगी।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम एवं मोहर
डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय ....
....
....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

संलग्नक "D '

कार्यानुभव प्रमाण पत्र

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता जहाँ कार्य सम्पादित किया है	सेवा अवधि	वित्त वर्ष	लागत	प्रमाण संलग्न किया है अथवा नहीं

निविदादाता के हस्ताक्षर

4

तकनीकी निविदा प्रपत्र **संलग्नक "E"**

(फर्म के लेटर हैड पर)

वार्षिक टर्नओवर विवरण

औसत सकल वार्षिक टर्नओवर मैसर्स ....
पता .... गत तीन वर्षो के नीचे दिये गये वित्तीय विवरण सही और सत्य है,जो कि सत्यापन हेतु प्रस्तुत है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नआवर (लाख में) रुपयें
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपयें .... लाख में

टर्नओवर तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर 75.00 लाख प्रतिवर्ष (पिचतर लाख) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

दिनांकः निविदादाता के हस्ताक्षर अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

नामः ....

पताः ....

....

मोबाइल नम्बरः ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा

संलग्नक "F"

भोजन मीनू की सूची

Break fast	1. चाय / कॉफी 2. दूध–कार्न फलेक्स, 3. मौसमी फल, 4. निम्न में से कोई भी एक OPTION प्रति दिन उपलब्ध हो। भरवा परांठा–(आलू / गोभी / प्याज / पनीर, दही, आचार सॉस सहित), मसाला पोहा, सांभर–इडली, कटलेट–साबुत दाना, आलू की सब्जी–पूडी, बेसन / दाल चीला उपमा 5. ब्रेंड– आमलेट / ब्रेड –बटर / बोइल्ड एग
High Tea	1. चाय / काफी 2. कोई भी एक मिठाई 3- अंकुरित चने या मूंग / खमण / खांडवी / वेज सेंडवीच / वेज मंच्यूरियन
Lunch/Dinner	1. टमाटर सूप / कोर्न सूप / वेजीटेबल सूप / कैरी पन्ना 2. तवा चपाती 3. दाल मखानी / अरहर दाल / मूंग दाल / राजमा / धूली उडद दाल / छोले 4. मौसमी सब्जी मेथी आलू / आलू पालक / आलू फूल गाभी / आलू बैंगन / मटर मंगोडी / मिक्स वेजीटेबल / आलू शिमला मिर्च 5. शोरबा की सब्जी, मलाई कोफता / कढाई पनीर / स्टफ टमेटो / शाही पनीर / दम आलू / गटटा मसाला / पालक पनीर 6. बूंदी का रायता / पाईनेपल रायता / वेजीटेबल रायता / लौकी खीरा रायता / जीरा पुदीना रायता 7. जीरा राईस / वेजीटेबल पुलाव / प्लेन राईस / मटर पुलाव 8. पोला पापड / सादा पापड 9. नारियल की बॅर्फी / खीर / प्लेन बर्फी / हलवा / गुलाब जामुन / राजभोग (कोई भी 1 नग) 10. सलाद–सिरका प्याज, मिर्च, नींबू, खीरा / ककडी, टमाटर, चटनी, अचार
Tea/Coffee	चाय / कॉफी बिस्कुट
निविदादाता को उपरोक्त दिये गये मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाना होगा एवं साप्ताहिक सब्जी की पुनरावर्ती नही की जावेगी एवं मेन्यू के अलावा भी आवश्यकतानुसार भोजन के लिए आदेश दिया जा सकता है।	
Packed Lunch/ Dinner	प्रत्येक सब्जी,दाल,पुलाव,रायता, मिठाई के (अलग–अलग कंटेनर में रखें जायेगे) 1. चपाती–तवा / तंदूरी / मिस्सी 2. चावल / पुलाव बासमती, 3. दो सब्जियां जिसमें से एक पनीर की व एक मौसमी सब्जी 4. दाल, 5. रायता / दही, 6. मिठाई 50 ग्राम (एक नग) 7. अचार चटनी, निम्बू (थैली अथवा पाउच मे) 8. सलाद –खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली

निविदादाता के हस्ताक्षर

Special Veg Lunch/ Dinner	1. स्टार्टर –हरा भरा कबाब/पनीक टिक्का/स्प्रींग रोल/फ्राईड बेबीकोर्न 2.चपाती (लच्छा पराठा/तवा/तंदूरी/मिस्सी/रुमाली/बेजड/मसाला) कोई सी दो प्रकार की 3. पुलाव बासमती/वेज बिरयानी कोई एक 4. तीन सब्जियां जिसमें से एक पनीर की एवं एक मिक्स वेज तथा एक सीजनल या तवा सब्जी हो 5. दालमखानी/दालफ्राई कोई एक 6. रायता – फ्रूट,/ बूंदी, /खीरा /दही/दही मिर्ची कोई एक 7. सूप 8. मिठाई 9. आइसक्रीम 10. शीतल पेय /गर्म पेय 11. अचार, चटनी, व पापड़ 12. फ्रूट सलाद (अमरुद, सेव, पपीता, अंगूर,केला, आदि) 13. सलाद –खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली, हरी मिर्च, सिरका प्याज 14. सौंफ सुपारी मिश्री
Budjeted Lunch/ Dinner	1. चपाती 2. अरहर दाल/मूंग दाल/धूली उडद दाल 3. मौसमी सब्जी मेथी आलू/आलू पालक/आलू फूल गाभी/आलू बैंगन/मटर मंगोडी/मिक्स वेजीटेबल/आलू शिमला मिर्च 4. बूंदी का रायता/वेजीटेबल रायता 5. जीरा राईस/प्लेन राईस सलाद–सिरका प्याज, मिर्च, नींबू, खीरा/ककडी, टमाटर, चटनी, अचार

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम..................................
पता निवास स्थान एवं कार्यालय ....
....
....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र **संलग्नक "G "**

स्वः घोषणा प्रमाण पत्र

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंम्पनी) द्वारा प्रमाणित किय जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नही कि गई है इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी /हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी /हमारी संस्था जिम्मेदार होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

निविदादाता का नाम

दिनांक

स्थान

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक "H"

स्वामित्व प्रमाण पत्र

(10 रू के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी)

मैं / हम.. मैं एकल स्वामित्व / साझेदार / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स ....एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्म / सार्वजनिक / निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित ....(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते हैं:–

1. कि मैं मेसर्स ....का एक मात्र मालिक हूँ

अथवा

कि हमारी मेसर्स ....साझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारो के पूरा नाम निम्न है /

(अ) ....

(ब)..

(स)..

(द)...

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानो के अन्तगर्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र / साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन ओर एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशको में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए

निविदादाता के हस्ताक्षर

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य में अयोग्य नही पाई गई है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है
3. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवेध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नही किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है
4. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते है तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई निविदाओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नही होगे
5. में शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ कसम खाता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु..पर..दिये गये अनुच्छेद 1से 5 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नही हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय बिड (BOQ) संलग्नक "I"

कैटिन संचालन कार्य हेतु दर संविदा

Format of BoQ to be filled electronically as financial bid and uploaded on e-proc

क्र.सं.	आईटम	दरें	जी.एस.टी	कुल
1	**Break fast**			
2	**High Tea**			
3	**Lunch**			
4	**Dinner**			
5	**Tea/Coffee**			
6	**Packed High Tea**			
7	**Packed Lunch**			
8	**Packed Dinner**			
9	**Special Veg Lunch/ Dinner**			
10	**Budjeted Lunch/ Dinner**			

क्र.सं.	आईटम	दरें प्रतिशत में
11	आउट साईड कैटरिंग में जयपुर शहर में संस्थान परिसर के बाहर उपरोक्त Break fast, High Tea, Lunch, Dinner, Tea/Coffee, Special Veg Lunch/ Dinner, Budjeted Lunch/ Dinner उपलब्ध कराने के लिए दरों में वृद्धि की मात्रा का प्रतिशत	

The rate should be filled in financial bid (BOQ) in figure & words in each column separately through http://www.eproc.rajasthan. gov.in

निविदादाता के हस्ताक्षर